न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 10/ 2020
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2020/00054

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री बहादुर पिता रावजी जाति भील निवासी रघावा, तहसील व जिला बांसवाड़ा।	बनाम	श्रीसरकार जरिये तहसीलदार बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट श्री निखिल मालोत, एडवोकेट	श्री भुपेन्द्र जैन राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 6/2020 उनवानी श्रीसरकार बनाम बहादुर में धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 03.09.2020 को अपीलांट का कच्चा मकान ध्वस्त करने एवं 50 गुना शास्ति आरोपित किये जाने आदेश के विरुद्ध अपील –

दिनांक :– 04.01.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट श्री बहादुर पिता रावजी जाति भील निवासी रघावा के विरुद्ध भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी पटवार हल्का तेजपुर द्वारा रिपोर्ट कर ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 36X62 फिट भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर कच्चा मकान निर्माण किया। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात् दिनांक 03.09.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमे प्रश्नगत भूमि ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 36X62 फिट भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने एवं मौके पर से अतिक्रमी को वेदखल करने एवं शरह लगान 1.50 रु. का 50 गुना शास्ति रु. 75/– वसूल करने आदेश दिये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 10:20:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने प्रस्तुत अपील में उल्लेख किया है कि अपिलांट भूमिहीन कृषक है तथा लम्बे समय से उक्त सर्वे नंबर पर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है तथा काफी रुपया खर्च कर रेहवास हेतु उपयोगी बनाया है। एवं पास में पडी हुई भूमि पर लम्बे समय से कृषि कार्य कर रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर गुटबाजी के कारण दुसरे पक्ष ने अवैध निर्माण की शिकायत की है। गृहहीन व्यक्तियों को घर से बेदखल न करने की सरकारो की मंशा पर अधिनस्थ न्यायालय ने गोर नही कर विधिक त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपिलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य का पूर्ण विवेचन न कर निर्णय पारित किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट को समन जारी किया गया ।

तहसीलदार, बॉसवाडा से मूल पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 6/2020 धारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में प्रस्तुत दस्तावेजो का पूर्ण विवेचन एवं दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात् दिनांक 03.09.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमे प्रश्नगत भूमि ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 36X62 फिट भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने एवं मौके पर से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं शरह लगान 1.50 रु. का 50 गुना शास्ति रु. 75/– वसूल करने आदेश दिये गये है।

दिनांक 04.01.2021 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार साहब द्वारा अपीलांट के कच्चे मकान को ध्वस्त करने एवं 50 गुना शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित करने में विधि की त्रुटि की है। अपीलांट कई वर्षो पूर्व झोपडा बनाकर रह रहा है उक्त झोपडे के अतिरिक्त अपीलांट का कोई निवास स्थल आवास नही है। तथा काफी रुपया खर्च कर रेहवास हेतु उपयोगी बनाया है। पंचायत चुनाव को लेकर गुटबाजी के कारण दुसरे पक्ष ने अवैध निर्माण की शिकायत की है। यदि रहने वाला झोपडा ध्वस्त किया गया तो अपीलांट अपने परिवार सहित बेघर हो जाएगा। अधिनस्थ न्यायालय ने अपिलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य का पूर्ण विवेचन न कर निर्णय पारित किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन में बताया कि भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी पटवार हल्का तेजपुर द्वारा रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण की पुष्टि होने पर नियमानुसार प्रकरण सं. 6/2020 धारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 में प्रस्तुत दस्तावेजो का पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:20:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

विवेचन एवं दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात् दिनांक 03.09.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमे प्रश्नगत भूमि ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 36X62 फिट भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने एवं मौके पर से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं शरह लगान 1.50 रु. का 50 गुना शास्ति रु. 75/– वसूल करने आदेश दिये तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा दिये गये है।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट श्री बहादुर पिता रावजी जाति भील निवासी रघावा के विरुद्ध भू अभिलेख निरीक्षक तेजपुर एवं पटवारी पटवार हल्का तेजपुर द्वारा रिपोर्ट कर ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 36X62 फिट भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर कच्चा मकान निर्माण किया। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक तेजपुर पटवारी हल्का तेजपुर की जॉच, मौतबिरानो के रुबरु तैयार किया गया मौका पर्चा दिनांक 22.02.2020 के आधार पर तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रकरणं दर्ज कर दोना पक्षो को विधि सम्मत सुनते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03–09–2020 पारित किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 06/2020 निर्णय दिनांक 03–09–2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखते हुए अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:20:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner